

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/2022 पार्ट-2

जयपुर, दिनांक : 24/07/2026

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कार्मिकों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में रिक्त पदों का अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्य हेतु आवंटित विभाग
1.	रूपेश कुमार कनिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी जिला परिषद, भरतपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी संभागीय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर
2.	संजीत मीणा कनिष्ठ विधि अधिकारी	कनिष्ठ विधि अधिकारी बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

विभागीय समसंख्यक आज्ञा दिनांक 23.07.2026 में वर्णित सूची के क्रम संख्या 13, 23 व 25 पर क्रमशः पूनम कुमारी गुप्ता, सहायक विधि परामर्शी, श्री रूपेश कुमार, कनिष्ठ विधि अधिकारी एवं सीमा नागर, वरिष्ठ विधि अधिकारी को दिया गया अतिरिक्त कार्यभार एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

इस विभाग की आज्ञा प.22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07.2026 के क्रम संख्या 82 पर श्री अमित चौधरी, सहायक विधि परामर्शी आगामी आदेशों तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर में ही कार्यरत रहेंगे।

आज्ञा से

(आशीष कुमार कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
- संबंधित विभाग।
- संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अतिरिक्त कार्य के स्थान पर अविलम्ब कार्यग्रहण कर रिपोर्ट **Legal Officer Portal** के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित करें।
- एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावलीं


संयुक्त शासन सचिव